प्रेस विज्ञप्ति
जल विभाग की समीक्षा

आज दिनाँक 14.10.2022 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा विशेष कार्याधिकारी(ए), उप महाप्रबन्धक (जल) एवं सम्बन्धित जल खण्डों के वरिष्ठ प्रबन्धकों के साथ कृत कार्यों की अद्यतन स्थिति/निष्पादन हेतु समीक्षा बैठक आहुत की गयी। बैठक में विचारोपरान्त वांछित कार्यवाही प्राथमिकता पर पुनः टाईम लाईन के साथ करने हेतु निर्देशित किया गया। विवरण निम्नवत है :–

1. नौएडा में स्थापित रैनीवेलों में पानी की उपलब्धता में सुधार हेतु प्रगतिरत अनुबन्ध के क्रम में मैसर्स वाप्कॉस की प्रगति लक्ष्य के अनुरूप न होने की दशा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया द्वारा प्रगति में तेजी लाने हेतु निर्देशित किया गया। लक्ष्य के अनुरूप कार्य न होने पर अतिरिक्त पेनल्टी लगाने हेतु निर्देशित किया गया। तत्क्रम में उनके द्वारा चार नग रैनीवेलों (सं0–2, 3 ,4 व 6) हेतु जो आगणन प्रस्तुत किये गये हैं इन सभी की निविदायें खण्डीय स्तर से प्रक्रिया पूर्ण करते हुये दिनांक 31 अक्टूबर 2022 तक आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया। शेष दो नग रैनीवेलों (सं0–1 व 5) की DPR एवं Estimate दिनांक 31 अक्टृबर–2022 तक उपलब्ध कराने हेतु मैसर्स वाप्कॉस को निर्देशित किया गया, अन्यथा की स्थिति में इनका अनुबंध निरस्त कर अन्य एजेन्सी का चयन किये जाने हेतु निर्देशित किया।
2. वर्तमान में वाटर मीटर हेतु प्रगतिरत अनुबंध के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2022 तक अनुबंध के अन्तर्गत प्रावधानित सभी वाटर मीटरों की स्थापना का कार्य एंव इनका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। दिनांक 31.10.2022 तक सम्बन्धित एजेन्सी द्वारा लक्ष्य के अनुरूप प्रगति नहीं होने पर पुनः Penalty लगाने हेतु निर्देशित किया तथा इस कार्य की प्रगति आख्या हेतु समीक्षा बैठक दिनांक 15 नवम्बर 2022 को पुनः करने हेतु निर्देशित किया गया। इस अवधि तक जल राजस्व के सापेक्ष इन संयोजनों से होने वाले जल राजस्व की प्रभावी स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन वर्तमान की प्रभावी जल राजस्व की Billing के सापेक्ष करने हेतु निर्देशित किया गया।
3. वर्तमान में उत्तर प्रदेश, सिंचाई विभाग द्वारा सैक्टर–50 में निर्मित किये गये वैटलेण्ड के आस–पास हो रहे अतिक्रमण को हटाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराते हुये इस स्थल पर साफ–सफाई व्यवस्था प्रभावी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा वैटलेण्ड के निर्माण उपरान्त पानी की गुणवत्ता में हुये सुधार का तुलनात्मक अध्ययन करते हुये उस पर दिनांक 15.11.2022 तक ड्रेन में प्राप्त हो रहे प्रवाह पर Monitoring System Upsteam & Downsteam दोनों पर GPS के साथ स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया।
4. जल विभाग द्वारा नये सैक्टरों 145, 146, 164 में जल/सीवर के समस्त कार्यों को उपलब्ध भूमि पर सभी प्रक्रिया पूर्ण करते हुये त्वरित स्थल पर कार्य प्रारम्भ करने हेतु निर्देशित किया गया तथा सैक्टर–161 व 162 के जल/सीवर कार्यों हेतु दिनांक 18.10.2022 तक सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

5. जल–राजस्व की देयता हेतु सम्बन्धित उपभोक्ता को Online के माध्यम से जमा कराने हेतु प्रोत्साहित कराने के निर्देश दिये गये एवं जल विभाग द्वारा भुगतान हेतु Paytm एवं SMS/Mail Alert हेतु App बनाकर उपभोक्ताओं को सुविधायें देने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।
6. जल खण्ड–प्रथम में अक्रियाशील 07 नग नलकूपों को जनवरी 2023 तक टाईमलाईन के साथ पूर्ण कराने हेतु निर्देशित किया गया।
7. नौएडा क्षेत्र में संचालित सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्टों पर मा0 एन0जी0टी0 के दिशा–निर्देशों के क्रम में TTP हेतु प्रगतिरत प्रस्तावों के टेंडर खण्डीय स्तर से प्रक्रिया पूर्ण करते हुये दिनांक 30.11.2022 तक आमंत्रित करने हेतु निर्देशित किया गया तथा जिन प्लाण्टों की संचालन विगत 10–12 वर्षों से लगातार किया जा रहा है उनपर स्थापित उपकरणों की दक्षता कम होने के दृष्टिगत उनको Retrofit करने हेतु सक्षम तकनीकी परामर्श लेने हेतु Expert Agency चयनित करते हुये कार्य योजना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया।
8. नौएडा क्षेत्र में संचालित सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लाण्टों से प्राप्त होने वाले शेधित जल का उपयोग पूरी क्षमता पर करने हेतु निर्देशित किया गया एवं स्वच्छता सर्वेक्षण–2022 में Water Plus Category में जो शहर नौएडा की जनसंख्या के समतुल्य हैं एवं जिन्होने स्वच्छता सर्वेक्षण में वाटर प्लस प्राप्त किया हो उनका Pattern Adopt करने हेतु सम्बन्धित शहरों का सर्वेक्षण करने हेतु निर्देशित किया गया।
9. नौएडा में वर्तमान में जिन ग्रामों में जल/सीवर नेटवर्क उपलब्ध नहीं है अथवा अपूर्ण हैं उनमें जल/सीवर लाईन डालने हेतु अपनी औचित्यपूर्ण आख्या दिनांक 15.11.2022 तक संकलित कर उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया।